

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 (कार्तिक 18, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री के.पी. सिंह, ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा-18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लाल सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के टेकनपुर स्थित इंजीनियरिंग संस्था के छात्रावास की छात्राओं पर प्राणघातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले की परिवहन चौकी फूफ में शासकीय धन की चोरी होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, नरेन्द्र बिरहारे, मंगनलाल गोइल, सदस्य, खतना जिले के तहसील मुख्यालय रामपुर बघेलान में प्रशासन द्वारा अवैध रूप से दुकानें हटाने की कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रतनसिंह भाबर, हरिन्दर जीत सिंह (बन्बु), चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम माहुरापुरण में कंजरो के आतंक के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, मुंशीलाल, सदस्य, शिवपुरी जिले के गौराटीला क्षेत्र से बस्यु गिरोह द्वारा ग्रामीणों का सामूहिक अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम हिरनखेड़ा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, भोपाल में नकली धी एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल नगर निगम द्वारा जल दर की वृद्धि किये जाने से नगरिकों में रोष होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. नियम 138 के अधीन अधिसम्बन्धीय लोक महत्त्व के विषयों पर चर्चा

1 घन्टा
30 मि.

प्रदेश में सुखे से उत्पन्न स्थिति के संकेत में सर्वश्री कंकर मुंजारे, रसात सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, राजेन्द्र भारती (दतिया), डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री अनुप मिश्रा, सदस्य, चर्चा उठावेंगे.

5. अशासकीय संकल्प

20 मि.

(1) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि उज्जैन नगर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाय."

30 मि.

(2) श्री जयन्त कुमार मलैया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि वर्ष 1979 से लागू अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को विवाह राहत योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सहायता हेतु आय सीमा व राहत राशि बढ़ाई जावे."

30 मि.

(3) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि प्रदेश में सड़कों के किनारे लगी समस्त शखब की दुकानों को 500 मीटर दूर तक हटाया जावे."

40 मि.

(4) श्री नरेन्द्र बिरहारे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि फसलों की पैदावार के आंकलन के लिए बनाये गये अनावारी फार्मुला जो कि बहुत पुरानी सामान्य पैदावार के हिसाब से बनाया गया है उसे पुनरीक्षित कर वर्तमान सामान्य पैदावार के हिसाब से बनाया जावे."

30 मि.

(5) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि अग्निकांड से नष्ट हुए मकानों के मालिकों को नुकसान का 20 प्रतिशत या रुपये 25 हजार जो भी कम हो, आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया जावे."

भोपाल :
दिनांक : 8 नवम्बर, 2001

डॉ. ए. के. पसावी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.